नाबार्ड
न्यूजलेटर
खण्ड - 20 नवंबर 2009 संख्या - 8

बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन-अध्यक्ष /चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका

बोर्ड ऑफ सुपरविजन ने यह महसूस किया है कि बैंक के चीफ एक्जिकयूटिव ऑफिसर ''धोखाधड़ी रोक और प्रबंधन कार्य'' पर ध्यान केन्द्रित करें ताकि अन्य के साथ-साथ धोखाधड़ी के मामलों की प्रभावी जाँच की जा सके तथा नाबार्ड सहित कानून लागू करनेवाली एजेन्सियों को धोखाधड़ी के मामलों की सही और तुरंत जानकारी दी जा सके. बोर्ड ने यह पाया है कि कम से कम बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों में उच्च शासकीय मानकों के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जाँच का कार्य बैंक के चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर, उनके बोर्ड की लेखा समिति और बोर्ड की विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए और तदनुसार, नियंत्रण की प्रणालीगत विफलता या मुख्य नियंत्रकों की अनुपस्थिति या वर्तमान नियंत्रण में गंभीर कमियॉ जिनकी वजह से बडी राशि की धोखाधडी के मामले फेसिलिटेट हुए और विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में धोखाधडी के बढ़ते हुए मामलों से बैंक को भारी नुकसान होने के मामलो का उत्तरदायित्व उक्त तीनों पर है.

2. बोर्ड ऑफ सुपरविजन के उक्त ऑब्जर्वेशन के मद्देनजर, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर शीघ्र कार्रवाई शुरु करें. कार्य स्वामित्व से संबंधित उक्त शासकीय मानकों और अपने बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी रुप से कार्य नही करने की जवाबदेही के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन लेकर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जाँच कार्य के लिए आंतरिक नीति गठित कर सकते हैं.

परिचालनात्मक मुद्दों के मद्देनजर, प्रभावी तुरंत जाँच, अनुप्रवर्तन और धोखाधड़ी के मामलों का फालो-अप सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा निम्नानुसार कुछ उपाय किए जा सकते है :-

(i) बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों या उक्त समूचे बैंक में हो रहे धोखाधड़ी के मामलों की जाँच, अनुप्रवर्तन और फालो-अप का कार्य उक्त परिचालन युनिट द्वारा स्वयं किया जाएगा. यह कार्य केन्द्रीयकृत रुप से किया जाएगा और इसे करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को नहीं कहा जाएगा जहाँ पर ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सकते है.

(ii) धोखाधड़ी जॉच के लिए फॉरेन्सिक ऑडिट में सक्षमता के साथ-साथ तकनीकी/लेन-देन में निपुणता होना जरूरी है. इस संबंध में, उचित योग्यता सहित स्टाफ की पहचान और उन्हें फॉरेन्सिक ऑडिट का प्रशिक्षण देने के लिए बैंक तत्काल कदम उठाएं ताकि बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की जाँच के लिए दक्ष स्टाफ को नियुक्त किया जा सके.

(iii) बैंकों द्वारा बडी राशि के धोखाधड़ी के मामलों का एक डाटा/जानकारी समूह तैयार कर उसका आवधिक तौर पर विश्लेषण किया जाए ताकि नीतिगत प्रत्युत्तरों हेतु ज्ञान भंडार के रुप में इनका उपयोग किया जा सके.
(iv) बैंक समर्पित और सुगठित 'विशेष निगरानी और जाँच कार्य दल ' गठित करें जो कि आसानी से धोखाधड़ी किए जा सकने वाले क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी रखेगा और दक्ष स्टाफ की सहायता से बडी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की जाँच कर उसमें लिप्त पाए गए स्टाफ के विरूद्ध आंतरिक दंडनीय कार्रवाई और धोखेबाजों और उन्हें उकसाने वाले के बाहरी कानूनी अभियोजन की कार्रवाई करेगा.

(संदर्भ सं. राबैं.डॉस.एचओ.पॉलिसी.सीएफएमसी/ 3662 /पी.78/2009-10 10 नवंबर 2009 परिपत्र सं.189 /डॉस- 40 /2009)

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन के विवेकपूर्ण मानदंड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2009 को जारी मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी.17/21.04.048/2009-10 के पैरा 3.2.1 तथा 3.2.2 में निहित अनुदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होंगे. (प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए जा रहे हैं)
(i) किसी वर्ष की समाप्ति पर, खरीदे और भुनाए गए बिलों सहित यदि कोई भी अग्रिम अनर्जक आस्ति बन जाए, तो पिछली अवधियों के दौरान उपचित और आय खाते में जमा किए गए ब्याज की संपूर्ण राशि को, यदि उसकी वसूली न हो, प्रत्यावर्तित किया जाए या उसके लिए प्रावधान किया जाए. यह बात सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों पर भी लागू होगी.
(ii) अनर्जक आस्तियों के मामले में, उपचित शुल्क कमीशन और इसी प्रकार की अन्य आय का चालू अवधि के दौरान उपचय बंद हो जाना चाहिए और यदि उसे वसूल न किया जा सके तो उसे पिछली अवधियों के संदर्भ में प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए.

(संदर्भ सं.राबैं.डॉस.प्रका.नीति/3572 / जे-1/ 2009-10 दिनांक 06 नवम्बर, 2009 परिपत्र सं 183 /डॉस-3 / 2009)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22(3)(ए) तथा 22(3)(बी) का अनुपालन

आरपीसीडी, भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने राज्य सहकारी (रास) बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों को लाइसेंस जारी करने के मानदंडों में कुछ और रियायत दी है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(i) नाबार्ड की पिछली निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बैंक का सीआरएआर 4% या उससे अधिक हो;
(ii) बैंक ने पिछले एक वर्ष के दौरान सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो; तथा
(iii) इस प्रयोजन के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार सीआरआर /एसएलआर में चूक को नजर अंदाज किया जा सकता है.

(संदर्भ.सं.एनबी.डॉस.प्रका.नीति 3574 / जे.1/ 2009-10 दिनांक 06 नवम्बर 2009 परिपत्र सं.184 / डॉस - 36 /2009)

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की रेटिंग के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना
इस योजना की संशोधित नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं :

I. योजना का प्रयोजन :

इस योजना के मूल प्रयोजन एक ओर तो निधियाँ प्रदान करने के लिए उपयुक्त एमएफआई की पहचान करने में बैंकों को सहयोग करना है तथा दूसरी ओर एमएफआई में समुचित मानदंड, प्रणाली और सुरक्षा उपायों, कौशल और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है.

II. रेटिंग एजेंसियाँ :

बैंक, एमएफआई की रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल, एम-क्रिल, आईसीआरए, केयर और प्लेनेट फायनांस या नाबार्ड द्वारा समय समय पर अनुमोदित की गई किसी अन्य एजेंसी की सेवाएँ ले सकते हैं.

III. पात्र अनुदान सहायता :

एमएफआई की केवल पहली रेटिंग के लिए बैंक, एमएफआई की रेटिंग शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति को अनुदान के रूप में ले सकते हैं. इसकी अधिकतम सीमा रु.तीन लाख की होगी. न्यूनतम बकाया ऋण रु.50.00 लाख वाले एमएफआई और अधिकतम बकाया ऋण रु.10.00 करोड़ वाले एमएफआई इस योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे. एमएफआई की रेटिंग शुल्क के लिए अनुदान सहायता के रूप में केवल रेटिंग एजेंसी की व्यवसायिक फीस ही अदा की जाएगी जोकि रु.3.00 लाख की उच्चतम सीमा के अधीन होगी.

IV. रेटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना :

बैंक / एमएफआई अपनी रेटिंग रिपोर्ट की एक प्रति नाबार्ड को देंगे तथा नाबार्ड के पास इस जानकारी को प्रकाशित करने का अधिकार रहेगा, यदि वह इसे प्रकाशित करना चाहता है, तो.

V. अनुदान सहायता के लिए दावा करने की प्रक्रिया :

बैंक, एजेंसी से रेटिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के तीन महीने के अंदर एमएफआई की रेटिंग लागत की प्रतिपूर्ति के लिए संलग्न फार्मेट में नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने दावे भेज सकते है दावों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / विवरण भी दिये जायें :

(क) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एमएफआई की रेटिंग रिपोर्ट,
(ख) एमएफआई की रेटिंग की कुल लागत और नाबार्ड से अपेक्षित सहायता की रकम, और
(ग) एमएफआई द्वारा मांगे गए बैंक ऋण का विवरण, यदि कोई हों, तो.
नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय इस योजना के तहत अनुदान सहायता को स्वीकृत और जारी करेगा.

VI. योजना का परिचालन :

एमएफआई की रेटिंग के लिए बैंकों को अनुदान सहायता की योजना निरंतर आधार पर परिचालन में रहेगी.

(संदर्भ : सं.राबैं.एमसीआईडी.986 /एमएफआईएस/2009-10 दिनांक 20 नवम्बर 2009 परिपत्र सं.193 /एमसीआईडी-5-07 /2009)

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की रेटिंग / ग्रेडिंग के लिए नाबार्ड से एमएफडीईएफ के तहत परिक्रामी निधि सहायता और/ या पूँजी/इक्विटी सहायता प्राप्त करने की योजना

अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग के लिए एमएफआई को सहायता की योजना को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) रेटिंग सहायता योजना नवम्बर 2009 के बाद भी जारी रहेगी तथा एक नियमित योजना के रूप में चालू आधार पर भी परिचालनगत रहेगी.

(ii) एमएफआई की रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) के केवल ''व्यावसायिक शुल्क'' की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी जोकि रु.3 लाख की उच्चतम सीमा के अधीन होगी. अन्य सभी लागतें संबंधित एमएफआई द्वारा वहन की जाएंगी.

(iii) जिन एमएफआई को एमएफडीईएफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पूंजी/ इक्विटी/आरएफए सहायता दी गयी है, वे प्राप्त की गई पूंजी/ इक्विटी/आरएफए की अवधि के दौरान शेयरिंग आधार पर दूसरी रेटिंग के लिए सहायता की पात्र होंगी.

(iv) जैसा कि एमएफआई की रेटिंग के लिए अधिकृत रेटिंग एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता रु.3 लाख तक बढ़ा दी गई है, अत: ऐसी एजेंसियां जो बैंकों के माध्यम से रेटिंग के लिए सहायता प्राप्त कर चुकी है और पूंजी/ इक्विटी/आरएफए के लिए यदि हमें योजना के तहत सहायता का प्रस्ताव करती हैं तो वे इसके लिए पात्र नहीं होंगी. तथापि, एजेंसियों को सहायता अवधि के दौरान दूसरी रेटिंग के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा.

(v) एमएफईडीईएफ के तहत एमएफआई को सहायता देने के लिए एमएफआई के लिए बकाया ऋण रकम की उच्चतम सीमा को रु.5.00 करोड़ के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर रु.10.00 करोड़ कर दिया गया है.

(संदर्भ सं.एनबी.एमसीआईडी/ 1006 /एमएफआई-रेटिंग/ 2009-10 दिनांक 24 नवंबर 2009 परिपत्र सं 195 /एमसीआईडी -08 /2009)

सम्पादकीय बोर्ड- एस के मित्रा,अमरेश कुमार,पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए **बी.जयरामन** द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*